UPSH010037372026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कक्ष संख्या–02, शाहजहाँपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1288/2026

मनमोहन पाण्डेय उर्फ सोनू पुत्र विश्व विजय पाण्डेय, निवासी मो0 नई बस्ती, थाना रामचन्द्र मिशन, जिला शाहजहॉपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन।
मुकदमा अ0सं0–65/2026,
धारा–352, 105, 124(1) भारतीय न्याय संहिता एवं
धारा–3(1)ध व 3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–कोतवाली, जिला–शाहजहाँपुर।

दिनांक–12.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **मनमोहन पाण्डेय उर्फ सोनू** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पैरोकार श्रीदेवी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10.03.2026 से जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार श्रीदेवी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं न ही पूर्व में खारिज हुआ है।

न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस पर, वादी मय विद्वान अधिवक्ता पूर्व में उपस्थित आये, परन्तु आज जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय वादी की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा संजीव कुमार द्वारा दिनांक 04.03.2026 को समय 16:12 बजे सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना दर्ज कराई गई कि उसकी छोटी बहन आरती उम्र करीब 32 वर्ष, जिसकी करीब 10 वर्ष पूर्व शादी हुयी थी, वह, अपने पति से मनमुटाव होने के कारण वर्तमान में मो0 बालाजी नगर, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहॉपुर में बतौर किराये के मकान में अपने परिचित विवाहित मित्र ब्रजदीप पुत्र अशोक कुमार, निवासी ब्रजबिहार कॉलोनी, थाना कोतवाली, शाहजहॉपुर के साथ रह रही थी। दिनांक 04.03.2026 को प्रातः 06:00 बजे मनमोहन पाण्डेय उर्फ सोनू पुत्र कृष्ण विजय पाण्डेय, निवासी नई बस्ती, मो0 रेती, थाना रामचन्द्र मिशन, उसकी बहन के घर पर आया तथा दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला तो मनमोहन ने आरती व ब्रजदीप को देखा और गालियॉ देने लगा। ब्रजदीप व आरती ने विरोध किया तो मनमोहन ने ज्वलनशील पदार्थ ब्रजदीप के चेहरे पर फेंक दिया। ब्रजदीप डरकर भागा तो मनमोहन भी पीछे भागा। आरती पुत्री कृष्णपाल ने मनमोहन के सर पर किसी भारी वस्तु से वार किया, तभी मनमोहन ने चाकू से आरती पर वार किया। दोनों लहूलुहान हो गये। सूचना पर शीघ्र अस्तपाल भर्ती कराया गया, जहॉ आरती की मृत्यु हो गयी।

अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे रंजिशन झूॅठा फसाया गया है। उसके विरूद्ध अभी तक विवेचना में अपराध में संलिप्त होने की बावत कोई भी सम्पुष्ट साक्ष्य नहीं आये हैं। उसका व मृतका का प्रेम विवाह हुआ था और उसके द्वारा मृतका की हत्या करना सम्भव नहीं है। उसकी पत्नी, ब्रजदीप के बहकावे में आकर, उसके साथ रहने लगी थी। वह होली के त्योहार पर अपनी पत्नी को मनाने के उद्देश्य से वहॉ गया था। उसके विरूद्ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की बढ़ोत्तरी वादी पक्ष के दबाव में तथा फर्जी अधिनियम अभियोग को गम्भीरतम बनाने के उद्देश्य से की गयी है। उस पर रिमाण्ड परिवर्तन दिनांक 16.04.2026 को

Digitally signed by ASHISH VARMA
Date: 2026.06.12 17:36:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया गया है। इतने लम्बे समय के बाद रिमाण्ड परिवर्तित होना, अभियोजन पक्ष दूर्षित मनोदशा का परिचायक है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसकी एक छोटी बच्ची है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है। उसके जमानत पर छूटने पर मुकदमा से पलायन करने या अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का कोई अंदेशा नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा की बहन/मृतका आरती के साथ गाली–गलौज कर साशय अपमानित किया गया एवं उसके गले व शरीर के अन्य भागों पर चाकू से वार कर गम्भीर चोटें कारित की गयी, जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी तथा मृतका के मित्र ब्रजदीप के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर, गम्भीर उपहति कारित की गयी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी ने अभियुक्त पर यह आक्षेप लगाया है कि अभियुक्त ने उसकी बहन/मृतका आरती के साथ गाली–गलौज कर साशय अपमानित किया एवं उसके गले व शरीर के अन्य भागों पर चाकू से वार कर गम्भीर चोटें कारित की, जिससे आरती की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी तथा मृतका के मित्र ब्रजदीप के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर गम्भीर उपहति कारित की गयी। विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा संख्या–2 में चश्मदीद साक्षी के रूप में वीरू सिंह पुत्र पप्पू सिंह का बयान अंकित किया है, जिसने अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के गले व शरीर के अन्य भागों पर धारदार हथियार की पॉच चोटें आना अंकित है तथा चिकित्सक द्वारा मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व मृतका की गर्दन की चोटें से उत्पन्न सदमा एवं रक्तस्राव के कारण होना बताया है। विवेचना के दौरान विवेचक ने अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किया जाना पाते हुये आरोप–पत्र प्रेषित किया, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा मामले की प्रकृति व गम्भीरता एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त **मनमोहन पाण्डेय उर्फ सोनू** का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 352, 105, 124(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)ध व 3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मनमोहन पाण्डेय उर्फ सोनू** की ओर से मुकदमा अ0सं0–65/2026, धारा 352, 105, 124(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)ध व 3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली, जिला शाहजहाँपुर के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1288/2026, निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति ई–मेल के माध्यम से जिला कारागार, शाहजहॉपुर प्रेषित की जाये।

दिनांकः 12.06.2026

(आशीष वर्मा)
विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/
अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कक्ष संख्या–02, शाहजहाँपुर।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 6211